वार्षिक प्रतिवेदन

(वित्तीय वर्ष 2017–2018)

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, ''मेट्रो प्लाजा'' बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016
फोन–0755–2430154, 2463585, फैक्स– 2981055
वेबसाईट : www.mperc.in
ई–मेल : secretary@mperc.nic.in

विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	आयोग की संरचना	03
2.	कार्यकारी संक्षेपिका	04–7
3.	वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए विद्युत दर निर्धारण के मुख्य बिन्दु	08–11
4.	वित्तीय वर्ष 2017–18 की अवधि में जारी विनियम तथा विनियमों में संशोधन	12
5.	विद्युत उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ	13
6	आयोग के लेखे ।	14
7.	परिशिष्ट–1	15
8.	परिशिष्ट–2	16
9	परिशिष्ट–3 (अ, ब, स)	17–19
10	परिशिष्ट–4	20

अध्याय – 1
आयोग की संरचना

डॉ. देव राज बिरदी आयोग के अध्यक्ष पद पर दिनांक 7.2.2015 से पदस्थ हैं एवं आयोग के दो सदस्य क्रमशः श्री ए.बी. बाजपेयी दिनांक 11.12.2012 से दिनांक 10.12.2017 तक तथा श्री आलोक गुप्ता दिनांक 2.1.2013 से दिनांक 1.1.2018 तक पदस्थ रहे । आयोग में सदस्य श्री मुकुल धारीवाल द्वारा दिनांक 2.1.2018 को तथा श्री अनिल कुमार झा द्वारा दिनांक 22.1.2018 को कार्यभार ग्रहण किया गया है । आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है ।

अध्याय – 2
कार्यकारी संक्षेपिका

2.1 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मप्रविनिआ) का गठन विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अंतर्गत किया गया । तत्पश्चात् राज्य शासन द्वारा 3 जुलाई 2001 को विद्युत सुधार अधिनियम 2000 प्रभावी किया गया तथा नियामक आयोग को इस राज्य अधिनियम के अन्तर्गत गठित माना गया । इसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया, जो कि विद्युत क्षेत्र से संबंधित एक व्यापक विधान है जिसके अंतर्गत म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, को गठित एवं कार्यशील माना गया है ।

2.2 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अनुसाार, आयोग से प्रत्येक वर्ष, में पूर्व वर्ष की गतिविधियों के संक्षिप्त विवरण को दर्शाते हुए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने की अपेक्षा की गई है जिसके अनुसाार प्रतिवेदन की प्रतिलिपियाँ राज्य शासन को प्रेषित की जाती है, जिसे राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ।

2.3 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा तद्नुसार वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर इसे राज्य शासन को प्रेषित किया जाता रहा है। यह प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2017–18 से संबंधित है ।

वित्तीय वर्ष 2017–18 की गतिविधियों का सारांश

2.4 वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने निम्न टैरिफ एवं उससे संबंधित आदेश जारी किये :–

2.4 (क) उत्पादन टैरिफ संबंधी जानकारी :

क्रमांक	उत्पादन टैरिफ	याचिका क्रमांक	आदेश दिनांक
1	मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा दायर याचिका के अन्तर्गत ताप एवं जल विद्युत केन्द्रों हेतु आयोग द्वारा जारी बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 01.4.2013 हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 के टैरिफ का सत्यापन आदेश ।	61 / 2016	7.4.2017
2	मे. जय प्रकाश पावर वेंचर लि. निगरी द्वारा दायर याचिका के अन्तर्गत 2 X 660 मेगावाट ताप विद्युत केन्द्र हेतु अंतिम टैरिफ गणना आदेश ।	72 / 2015	24.5.2017
3	मे. बी.एल.ए. पावर लि. द्वारा दायर याचिका के अन्तर्गत 45 MW ताप विद्युत केन्द्र हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 के टैरिफ का सत्यापन आदेश तथा वहुवर्षीय टैरिफ 2016–17 से 2018–19 का गणना आदेश ।	13 / 2017	2.6.2017

क्रमांक	उत्पादन टैरिफ	याचिका क्रमांक	आदेश दिनांक
4	मे. जय प्रकाश पावर वेंचर लि. बीना द्वारा दायर याचिका के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु जारी टैरिफ का सत्यापन आदेश ।	62 / 2016	21.6.2017
5	म.प्र. पावर मैनेजमेंट कं. लि. द्वारा दायर याचिका के अन्तर्गत विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 91 (1) (f) के अन्तर्गत पुनर्विचार याचिका ।	66 / 2016	21.6.2017
6	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं. लि. द्वारा दायर याचिका के अन्तर्गत आयोग द्वारा जारी सत्यापन आदेश दिनांक 7.4.2017 के विरूद्ध पुनर्विचार याचिका आदेश ।	23 / 2017	2.8.2017
7	म.प्र. पावर मैनेजमेंट कं. लिमिटेड जबलपुर द्वारा दायर याचिका के अन्तर्गत विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61, 62 एवं 86 (b) के तहत आदेश ।	35 / 2016	23.8.2017
8	मै पी.टी.सी इंडिया लि. द्वारा दायर याचिका के तहत विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1) (b) एवं 86 (1) (f) के अन्तर्गत मीटर शिफ्टिंग के कारण 1x 300 MW ताप विद्युत केन्द्र हेतु आदेश ।	19 / 2017	24.8.2017
9	मे. जय प्रकाश पावर वेंचर लि. बीना द्वारा दायर याचिका के अन्तर्गत आयोग द्वारा याचिका क्रमांक 70 वर्ष 2015 में पारित आदेश दिनांक 03.6.2016 के विरूद्ध पुनर्विचार याचिका ।	47 / 2016	25.9.2017
10	मे. एम.बी. पावर लि. द्वारा दायर याचिका के अन्तर्गत ताप विद्युत केन्द्र इकाई क्रमांक 2 अनूपपुर हेतु अनंतिम टैरिफ गणना आदेश	18 / 2017	28.10.2017
11	मे. एम.बी. पावर लि. द्वारा दायर याचिका के अन्तर्गत विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 (1) (f) के तहत पुनर्विचार याचिका ।	67 / 2016	30.11.2017
12	मे. एम.बी. पावर लि. द्वारा दायर याचिका के अन्तर्गत विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 एवं 86 (1) (a) के तहत 600 MW इकाई क्रमांक (1) हेतु अन्तिम टैरिफ की गणना तथा वर्ष 2016'–17 से 2018–19 हेतु वहुवर्षीय टैरिफ आदेश ।	68 / 2016	1.12.2017

क्रमांक	उत्पादन टैरिफ	याचिका क्रमांक	आदेश दिनांक
13	मे. जय प्रकाश पावर वेंचर लि. बीना द्वारा दायर याचिका के अन्तर्गत विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 एवं 86 (1) (a) के तहत माननीय विद्युत अभिकरण द्वारा अपील क्रमांक 25 वर्ष 2016 में जारी आदेश दिनांक 13.2.2017 के तहत आदेश	11/2017	4.12.2017
14	म.प्र. पावर जनरेटिंग कं. लि. द्वारा दायर याचिका के अन्तर्गत 2X600 सिंगाजी ताप विद्युत केन्द्र क्रमांक 1 एवं 02 हेतु अन्तिम टैरिफ गणना आदेश।	9/2017	30.12.2017
15	मे. झाबुआ पावर लि. द्वारा दायर याचिका अंतर्गत विद्युत अधिनियम की धारा 62 एवं 86 (1) (a) के तहत 1X600 MW ताप विद्युत केन्द्र बरेला गोरखपुर दिनांक 3.5.16 से 31.7.19 की अवधि हेतु टैरिफ आदेश ।	64 वर्ष 2017	13.3.2018

2.4 (ख) पारेषण टैरिफ से संबंधित जानकारीः

क्रमांक	पारेषण टैरिफ	याचिका क्रमांक	आदेश दिनांक
01	राज्य भार प्रेषण केन्द्र जबलपुर द्वारा दायर याचिका के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017 –18 हेतु प्रभारों के उदग्रहण तथा संग्रहण हेतु आदेश ।	69/2016	26.4.2017
02	म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि. द्वारा दायर याचिका के अन्तर्गत पश्चिम मध्य रेल्वे को 200 में.वा. क्षमता आवंटन के कारण वहुवर्षीय टैरिफ आदेश 2016–17 से वर्ष 2018–19 हेतु क्षमता प्रभार के पुर्नआवंटन हेतु आदेश ।	70/2016	26.4.2017
03	म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा दायर याचिका के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु पारेषण टैरिफ का सत्यापन आदेश ।	63/2016	15.5.2017

2.4 (ग) खुदरा प्रदाय विद्युत टैरिफ तथा सत्यापन आदेश

क्रमांक	खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेशों के विवरण	आदेश दिनांक
1	याचिका क्रमांक 71/2016 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड तथा राज्य की तीनों वितरण कंपनियों (म. प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर तथा म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल) के लिए खुदरा प्रदाय विद्युत दर आदेश	31.03.2017 आदेश प्रभावी करने की तिथि 10.04.2017

2.4 (घ) गैर परम्परागत स्त्रोतों से प्राप्त विद्युत हेतु टैरिफ आदेश

क्रमांक	टैरिफ आदेशों के विवरण	आदेश दिनांक
01.	बगास पर आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु टैरिफ आदेश दिनांक 01.04.2013 की नियंत्रण अवधि में वृद्धि ।	04.05.17
02.	पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु टैरिफ आदेश दिनांक 17.03.2016 की कंडिका 4.1 में संशोधन ।	05.06.17
03.	लघु जल परियोजना पर आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु टैरिफ आदेश दिनांक 14.05.2013 की नियंत्रण अवधि में वृद्धि ।	28.03.18

2.5 वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान कुल 71 याचिकाऐं, जिनमें 01 स्व–प्रेरणा याचिका सम्मिलित हैं, पंजीकृत की गई । पूर्व वर्ष की 27 याचिकाएं भी शेष थीं । इस प्रकार, कुल 98 याचिकाओं में से 65 याचिकाओं का निराकरण किया गया जबकि शेष 33 याचिकाओं पर प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2018–19 में जारी रहेगी ।

अध्याय–3

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए विद्युत दर निर्धारण के मुख्य बिंदु

3.1 वर्ष 2017–18 के लिए खुदरा विद्युत प्रदाय हेतु टैरिफ आदेश आयोग द्वारा दिनांक–31.03.2017 को पारित किया गया तथा दिनांक 10 अप्रैल 2017 से प्रभावी किया गया इस आदेश की मुख्य विशिष्टताएं निम्नानुसार है :–

1. आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों हेतु विद्युत दरों (ऊर्जा प्रभारों तथा स्थाई प्रभारों) को पुनरीक्षित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये औसत दर वृद्धि 9.48% है।
2. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका में रूपये 32073 करोड़ के दावे के विरूद्ध आयोग द्वारा रू 31062 करोड़ की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता को स्वीकार किया गया, जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता की सत्यापित राशि, वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता की सत्यापित राशि तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 की म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता की सत्यापित राशि के साथ–साथ, वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु माननीय एप्टेल **(APTEL)** के आदेश के अनुपालन में वित्तीय प्रभाव को भी शामिल किया गया ।
3. वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु आयोग द्वारा विनियमों में विनिर्दिष्ट तथा इस आदेश मे स्वीकृत वितरण हानियों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

विद्युत वितरण कम्पनी	वितरण हानि स्तर
पूर्व क्षेत्र	**17%**
पश्चिम क्षेत्र	**15.5%**
मध्य क्षेत्र	**18%**

4. अमीटरीकृत ग्रामीण घरेलू संयोजनों हेतु आयोग द्वारा संयोजित भार के आधार पर ऊर्जा प्रभार तथा स्थाई प्रभार को निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार पुनर्निधारित किया गया :

विवरण	अमीटरीकृत संयोजनों हेतु प्रतिमाह बिल किये जाने वाली यूनिट संख्या तथा ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये)
ग्रामीण क्षेत्रों में अमीटरीकृत संयोजन, जिनका संयोजित भार 300 वाट से अधिक तथा 500 वाट तक है	75 यूनिट, 430 पैसे प्रति यूनिट की दर से	70 प्रति संयोजन
ग्रामीण क्षेत्रों से अमीटरीकृत संयोजन, जिनका संयोजित भार 200 वाट से अधिक तथा 300 वाट तक है (दो कमरों तथा टेलीविजन सुविधा से युक्त)	60 यूनिट, 417 पैसे प्रति यूनिट की दर से	50 प्रति संयोजन
ग्रामीण क्षेत्रों से अमीटरीकृत संयोजन जिनका संयोजित भार 200 वाट तक है (दो कमरों तक तथा टेलीविजन सुविधा से विहीन)	50 यूनिट, 310 पैसे प्रति यूनिट की दर से	45 प्रति संयोजन

चूंकि विद्युत वितरण कम्पनियों ने शहरी क्षेत्रों मे शत प्रतिशत मीटरीकरण किया जाना प्रतिवेदित किया है, अतएव आयोग ने इस बारे में अमीटरीकृत शहरी घरेलू संयोजनों हेतु किसी आकलन मानदण्ड प्रदान करने पर कोई विचार नही किया है।

5 **उच्च दाब श्रेणी 6.2 के अंतर्गत थोक आवासीय प्रयोक्ता की प्रयोज्यता में संशोधन :**

इस श्रेणी के अंतर्गत आयोग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिये वृद्धावस्था आवास गृहों व दिवा देखभाल केन्द्रों (डेकेयर सेंटर्स), सुधारालयों (रेसक्यू सेंटर्स) तथा शासन एवं धर्मस्व न्यास द्वारा संचालित अनाथालयों को सम्मिलित किया गया है।

6 **घरेलू तथा गैर–घरेलू श्रेणियों के लिए पूर्व–भुगतान (प्रीपेड) उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट में वृद्धि :**

पूर्व–भुगतान पद्धति को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इन श्रेणियों में ऊर्जा प्रभारों पर छूट की राशि को वर्तमान में 5 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ाकर 20 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है।

7 **एलवी–4 औद्योगिक :**

20 अश्वशक्ति संविदा मांग वाले उपभोक्ताओं की बिलिंग, टैरिफ श्रेणी 4.1 (ए) के प्रभारों की 30 प्रतिशत कम विद्युत–दर पर की जाएगी।

8 **निम्न दाब तथा उच्च दाब टैरिफ श्रेणियों हेतु अधिक संयोजित भार या अधिक मांग पर अतिरिक्त प्रभार को हटाना :**

निम्न दाब तथा उच्च दाब टैरिफ श्रेणियों मे, ऊर्जा प्रभारों पर अधिक संयोजित भार या अधिक मांग के कारण अतिरिक्त प्रभार लागू नहीं होंगे। निम्न दाब तथा उच्च दाब टैरिफ श्रेणियों हेतु अधिक संयोजित भार/मांग हेतु स्थाई प्रभारों के संबंध में स्वीकृत भार/संविदा मांग के 115 प्रतिशत तक स्थाई प्रभार सामान्य दर पर प्रभारित किया जायेगा । स्वीकृत भार/संविदा मांग के 115 प्रतिशत से अधिक तथा 130 प्रतिशत तक विद्युत खपत करने वाले उपभोक्ताओं को स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 1.3 गुना दर के अनुसार प्रभारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि अधिक संयोजित भार/मांग स्वीकृत भार/संविदा मांग से 130 प्रतिशत अधिक हो तो उपभोक्ताओं को स्थाई प्रभारों की सामान्य दर से दुगुनी दर पर प्रभारित किया जाएगा।

9 एलवी–4 तथा एचवी–4 औद्योगिक मौसमी (सीजनल) उपभोक्ताओं हेतु अधिकतम मांग को अब संविदा मांग की 31.5 प्रतिशत तक की सीमा तक (अर्थात, संविदा मांग के 30 प्रतिशत का 105 प्रतिशत), बिना किसी अतिरिक्त प्रभार अनुमति प्रदान की जाएगी।

10 ऑनलाईन देयक भुगतान हेतु छूट :

क. निम्न दाब हेतु : विद्युत देयक का ऑनलाईन भुगतान करने पर कुल देयक राशि पर 0.5 प्रतिशत छूट, न्यूनतम राशि रू. 5 तथा अधिकतम राशि रू. 20 तक के अंतर्गत, लागू होगी।

ख. उच्च दाब हेतु : विद्युत देयक का ऑनलाईन भुगतान करने पर, कुल देयक राशि पर 0.5 प्रतिशत छूट, अधिकतम राशि रू. 1000 के अंतर्गत लागू होगी।

11 रेलवे हेतु छूट– ऊर्जा प्रभारों हेतु रू. 2 प्रति यूनिट की छूट प्रदान की गई है जो अगले पांच वर्षों तक लागू रहेगी।

12 एचवी–3 टैरिफ श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु ऊर्जा प्रभारों पर छूट :

क. विद्यमान उच्चदाब संयोजनों हेतु छूट : वर्तमान वित्तीय वर्ष में वित्तीय वर्ष 2015–16 के तत्संबंधी माह के अंतर्गत विद्युत खपत पर इन्क्रीमेंटल मासिक खपत हेतु ऊर्जा प्रभार पर 10 प्रतिशत छूट लागू होगी। संविदा मांग में वृद्धि होने संबंधी प्रकरण में, इन्क्रीमेंटल खपत की गणना यथानुपात की जाएगी।

ख. नवीन उच्च दाब संयोजनों हेतु छूट : नवीन संयोजनों एक रूपये प्रति यूनिट या 20 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, की छूट ऊर्जा प्रभार हेतु अभिलेखित खपत पर लागू की गई है। यह छूट नवीन परियोजनाओं हेतु पांच वर्षो की अवधि के लिये लागू होगी जिनके लिये अनुज्ञप्तिधारी से वित्तीय वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 हेतु विद्युत प्रदाय के लिए अनुबंध निष्पादित किये जाएंगे, बशर्ते ये संयोजन केवल ग्रीन फील्ड (पूर्णतया नवीन) परियोजनाओं के लिये प्रदान किये जाएं तथा यह भी कि नवीन संयोजन के स्वामित्व में परिवर्तन किये जाने पर नवीन संयोजनों हेतु यह छूट लागू न होगी। ग्रीन फील्ड (पूर्णतया नवीन) परियोजनाओं का तात्पर्य ऐसी परियोजनाओं से है जहां उपभोक्ता नवीन उद्योग/संयंत्र के निर्माण में मूल भूमि पर निर्माण कार्य पर पूंजी निवेश करता है तथा यह भी कि उक्त विशिष्ट भूमि पर पूर्व में किसी प्रकार का निर्माण/ संरचना विद्यमान नही होनी चाहिए।

13 11 किलोवोल्ट, 33 किलोवोल्ट, तथा 132 किलोवोल्ट उच्चतर वोल्टेज स्तर पर संयोजनों के देय अतिरिक्त प्रभारों को 5 प्रतिशत, 3 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत से घटाकर क्रमशः 3 प्रतिशत, 2 प्रतिशत तथा 1 प्रतिशत किया गया है।

14. कैप्टिव विद्युत संयन्त्र के उपभोक्ताओं के लिये उनकी विद्युत प्रदाय व्यवस्था अनुज्ञप्तिधारियों की ओर बदलने के प्रयोजन से उनकी कैप्टिव खपत में कमी लाकर, इन्क्रीमेंटल खपत पर रू 2 प्रति यूनिट की छूट का प्रावधान किया गया है। यह छूट पांच वर्षो की अवधि हेतु लागू होगी।

15. आयोग द्वारा खुली पहुंच (ओपन एक्सेस) उपभोक्ताओं के लिये लागू अतिरिक्त अधिभार की गणना 65 पैसे प्रति यूनिट की दर से की गई है।

3.2 वित्तीय वर्ष 2017–18 की अवधि में ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों हेतु पारित टैरिफ आदेश :

(1) **बगास पर आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु टैरिफ आदेश दिनांक 01.04.2013 की नियंत्रण अवधि में वृद्धि :** आयोग द्वारा दिनांक 01.04.2013 को पारित आदेश के अंतर्गत बगास पर आधारित नवीन विद्युत परियोजनाओं से संपूर्ण विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु नियंत्रण अवधि 31 मार्च 2016 तक के लिए संतुलित विद्युत दर रू0 6.28 प्रति यूनिट तथा अधिशेष विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु विद्युत दर रू0 2.25 प्रति यूनिट निर्धारित की गई थी । आयोग द्वारा दिनांक 04.05.2017 को उपरोक्त टैरिफ आदेश की नियंत्रण अवधि को नए टैरिफ आदेश पारित होने की तिथि तक बढ़ाया गया ।

(2) **पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु टैरिफ आदेश की कंडिका 4.1 में संशोधन :** आयोग द्वारा दिनांक 17.03.2016 को पारित आदेश के अंतर्गत पवन ऊर्जा पर आधारित नवीन विद्युत परियोजनाओं से सम्पूर्ण विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु नियंत्रण अवधि 31.03.2019 तक के लिए संचालित विद्युत दर रू0 4.78 प्रति यूनिट निर्धारित की गई थी ।
आयोग द्वारा दिनांक 05.06.2017 को उपरोक्त टैरिफ आदेश की कण्डिका 4.1 में संशोधन किया, जिसके अंतर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत परियोजनाओं से प्रतियोगितात्मक बोली के द्वारा भी विद्युत की अधिप्राप्ति किए जाने का प्रावधान है ।

(3) **लघु जल परियोजना पर आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु टैरिफ आदेश दिनांक 14.05.2013 की नियंत्रण अवधि में वृद्धि :** आयोग द्वारा दिनांक 14.05.2013 को पारित आदेश के अंतर्गत लघु जल परियोजना पर आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु नियंत्रण अवधि 31 मार्च 2016 तक के लिए विद्युत दरें निर्धारित की गई थी । उपरोक्त आदेश में 35 वर्ष के परियोजना जीवनकाल के लिए शासन को देय निःशुल्क ऊर्जा का प्रतिशत शून्य मानते हुए वर्षवार विद्युत दरें निर्धारित की गई थी । आयोग द्वारा दिनांक 28.03.2018 को आदेश द्वारा उपरोक्त टैरिफ आदेश की नियंत्रण अवधि को दिनांक 30.06.2018 तक बढ़ाया गया।

अध्याय – 4

वित्तीय वर्ष 2017–18 की अवधि में जारी विनियम तथा विनियमों में संशोधन

मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्दिष्ट किया गया है कि आयोग, अधिसूचना जारी कर, इन अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार अधिनियमों के उपबंधों के परिपालन हेतु सुसंगत विनियम बना सकेगा। तदनुसार, आयोग द्वारा समय–समय पर विनियम जारी किये गये हैं । वर्ष 2017–18 के दौरान अधिसूचित विनियमों तथा विनियमों के संशोधनों की सूची **परिशिष्ट – 2** में संलग्न है ।

अध्याय–5

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ में प्राप्त प्रकरणों के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

(क)	दिनांक 31.03.2017 की स्थिति में लंबित शिकायतों की संख्या	173
(ख)	वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	205
(ग)	वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल शिकायतों की संख्या	378
(घ)	वित्तीय वर्ष के दौरान शिकायतों के निपटारे की संख्या	252
(ड.)	दिनांक 31.03.2018 की स्थिति में लंबित शिकायतों की संख्या	126

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की वितरण कंपनीवार जानकारी क्रमशः परिशिष्ट 3 (अ) से 3 (स) पर तथा विद्युत लोकपाल से संबंधित जानकारी परिशिष्ट–4 पर संलग्न है ।

अध्याय–6

आयोग के लेखे

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के पूर्ववर्ती वर्षो के लेखे प्रतिवर्ष विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 104 (4) के अनुसार म.प्र. विधानसभा के पटल पर रखे जाते रहे हैं ।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 (3) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 के आयोग के लेखों की लेखा परीक्षा का कार्य अडिट दल द्वारा दिनांक 23.7.2018 से दिनांक 1.8.2018 के दौरान सम्पन्न किया जा चुका है । भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखा संपरीक्षक से लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होते ही यथाशीघ्र आयोग के वित्तीय वर्ष 2017–18 के लेखे, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु राज्य सरकार को पृथक से अग्रेषित की जाएगी ।

आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के विवरण
(वर्ष 2017–18 की स्थिति में)

सरल क्रमांक	नाम	पदनाम	कार्य ग्रहण तिथि	कार्यकाल	वर्तमान / सेवानिवृत्त
1.	डॉ. देवराज बिरदी	अध्यक्ष	07.2.2015	13.01.2020	वर्तमान
2.	श्री मुकुल धारीवाल	सदस्य	02.01.2018	01.01.2023	वर्तमान
3.	श्री अनिल कुमार झा	सदस्य	22.01.2018	23.07.2022	वर्तमान
4.	श्री ए.बी. बाजपेयी	सदस्य	11.12.2012	10.12.2017	सेवानिवृत्त
5.	श्री आलोक गुप्ता	सदस्य	2.01.2013	01.01.2018	सेवानिवृत्त

परिशिष्ट–2

दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक अधिसूचित किये गये विनियमों की सूची

स. क्रं.	विनियम का नाम	अधिसूचना क्रमांक	जारी करने की दिनांक	अधिसूचना दिनांक	विनियम क्रमांक
01.	मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों द्वारा उत्पादित ऊर्जा की विद्युत् दर निर्धारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2017 ।	987	06.07.2017	07.07.2017	(जी–43, वर्ष 2017)
02.	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2010 में छठवाँ संशोधन ।	1249	31.08.2017	01.09.2017	[एआरजी–33(I) (vi), वर्ष 2017]
03.	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2010 में सातवाँ संशोधन ।	1629	15.11.2017	17.11.2017	[एआरजी–33(I) (vii), वर्ष 2017]

o"kZ 2017&18 gsrq e-iz- मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल के विद्युत शिकायत fuokj.k Qksje ds lcU/k esa ftykokj vkosnu rFkk fujkdj.k dh ftykokj v|ru fLFkfr

Øekad	ftyk	o"kZ ds izkjEHk esa yafcr f'kdk;rksa dh la[;k	o"kZ ds nkSjku izkIr f'kdk;rksa dh la[;k	dqy	o"kZ ds nkSjku fujkd`r dh xbZ f'kdk;rksa la[;k	fnukad 31-03-18 dks yafcr f'kdk;rksa dh la[;k
01	02	03	04	05	06	07
1	Xokfy;j	26	150	176	112	64
2	f'koiqjh	01	1	2	2	&
3	xquk	&	1	1	1	&
4	eqjSuk	&	1	1	1	&
5	';ksiqj	&	&	&	&	&
6	nfr;k	&	1	1	1	&
7	fHk.M	4	4	8	5	3
8	v'kksduxj	&	1	1	1	&
9	Hkksiky	5	25	30	27	3
10	fofn'kk	7	4	11	10	1
11	gks'kaxkckn	&	7	7	6	1
12	cSrwy	&	&	&	&	&
13	jktx<	1	3	4	3	1
14	lhgksj	&	1	1	1	&
15	jk;lsu	&	1	1	1	&
16	gjnk	&	&	&	&	&
		44	200	244	171	73

परिशिष्ट – 3 (ब)

o"kZ 2017&18 gsrq e-iz- पश्चिम {ks= fo|qr forj.k dEiuh] bankSj के विद्युत शिकायत fuokj.k Qksje dk lca/k esa ftykokj vkosnu rFkk fujkdj.k dh ftykokj v|ru fLFkfr

क्रमांक	जिला	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुल	वर्ष के दौरान निराकृत की गई शिकायतों संख्या	दिनांक 31.03.18 को लंबित शिकायतों की संख्या
1	इंदौर	24	162	186	166	20
2	धार	2	10	12	11	1
3	खरगोन	3	13	16	15	1
4	बडवानी	1	14	15	14	1
5	खंडवा	2	21	23	23	0
6	बुरहानपुर	17	35	52	49	3
7	झाबुआ	0	3	3	3	0
8	आलीराजपुर	0	4	4	4	0
9	उज्जैन	9	77	86	79	7
10	रतलाम	4	2	6	6	0
11	मंदसौर	0	0	0	0	0
12	नीमच	4	9	13	13	0
13	देवास	2	10	12	11	1
14	शाजापुर	0	3	3	3	0
15	आगर	0	4	4	3	1
	कुलयोग	**68**	**367**	**435**	**400**	**35**

शिविर में 166 शिकायतें शिविर स्थल पर निराकृत की गई, वे उपरोक्त से पृथक हैं ।

o"k 2017&18 grq e-i- iol {k= fo|r forj.k diuh] tcyij के विद्युत शिकायत fuokj.k Qkje d lc/k e ftykokj vkonu rFkk fujkdj.k dh ftykokj v|ru fLFkfr

idj.kk dh l[;k						
Øekd	ftyk	o"k d ikjHk e yfcr f'kdk;rk dh l[;k	o"k d nkjku iklr f'kdk;rk dh l[;k	dy	o"k d nkjku fujkdr dh xbl f'kdk;rk l[;k	fnukd 31-03-18 dk yfcr f'kdk;rk dh l[;k
01	02	03	04	05	06	07
1	tcyij	26	728	754	745	09
2	dVuh	03	1112	1115	1109	06
3	e.Myk	&	20	20	20	&
4	fM.Mkjh	&	52	52	52	&
5	ujflgij	01	173	174	170	04
6	flouh	&	39	39	39	&
7	Ckkyk?kkV	&	96	96	96	&
8	fNnokMk	03	78	81	81	&
9	jhok	01	156	157	154	03
10	lruk	02	215	217	216	01
11	lh/kh	01	26	27	27	&
12	'kgMky	&	89	89	83	06
13	mefj;k	&	88	88	88	&
14	vuiij	&	42	42	42	&
15	flxjkyh	&	34	34	32	02
16	Lkkxj	02	222	224	223	01
17	nekg	06	51	57	56	01
18	Nrjij	04	55	59	58	01
19	iUuk	01	45	46	46	&
20	Vhdex<	02	36	38	38	&
dy ;kx		52	3357	3409	3375	34

परिशिष्ट – 4

विद्युत लोकपाल के समक्ष शिकायतों के प्रकरणों की अद्यतन स्थिति में प्रगति प्रतिवेदन
(दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक)

शिकायत की प्रकृति	अवधि के प्रारंभ में लंबित	अवधि के दौरान प्राप्त की गई	अवधि के दौरान निराकृत	कुल लंबित (संख्या)
विद्युत प्रदाय में अवरोध संबंधी	00	00	00	00
वोल्टेज संबंधी शिकायतें	00	00	00	00
भार कम करने/अनुसूचित अवरोध (लोड शेडिंग/ शेड्यूल्ड आऊटेज) संबंधी	00	00	00	00
मीटर संबंधी शिकायतें	00	00	00	00
विद्युत देयक संबंधी शिकायतें	01	17	16	02
विद्युत प्रदाय का असंयोजन तथा पूर्व संयोजन संबंधी	00	00	00	00
नवीन संयोजन में विलंब संबंधी	00	00	00	00
अन्य शिकायतें, जैसे कि क्षति, मांग/भार में कमी/वृद्धि की जाना अथवा प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना, आदि	07	33	37	03
योग	**08**	**50**	**53**	**05**